न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर),उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/18 (आरबीट्रेशन)

श्री मोहनलाल पिता स्व. श्री रूपलाल जी राजक (धोबी) निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली (भारत)

2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) उदयपुर

.....विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितिः—	श्री के.के. मेहता, अधिवक्ता प्रार्थी श्री पी.सी.जैन, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक—14.10.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जिंक स्मेल्टर की आराजी नं. 4518 रकबा 0.1500 है. भूमि पर सन् 1981 से डिजल पैट्रोल क्रय विक्रय का व्यवसाय किया जाता रहा । इस खसरे की भूमि का वाणिज्यिक रूपान्तरण बहुत पूर्व में हो चुका था। प्रार्थी इस भूमि का लीज हॉल्डर होकर राजस्थान सरकार द्वारा 2000 से पुनः निरन्तर नवीनीकरण कर आगामी 20 वर्ष के लिए बढायी जा चुकी है। उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गई। प्रार्थी को पूर्व में मुआवजा नहीं दिया गया, और ना ही 30.04.18 के पूर्व तक अवाप्ति कार्यवाही के अवार्ड बाबत कोई सूचना नहीं दी गई। उक्त खसरा भूमि जो देबारी में पूर्व पारित मुआवजा का आंशिक भू भाग यानि 0.1500 है. में 0.0100 है. अवाप्त की जाकर मुआवजा राशि की गणना वर्ष 2011 के हिसाब से 38 लाख से अधिक की जाकर प्रार्थी को भुगतान किया गया।

शेष भूभाग 0.1400 है. हेतु मुआवजा केवल मात्र 1,21,172/– का अवार्ड जारी ही किया गया जो किसी भी प्रकार से उचित व विधि सम्मत नहीं है। बल्कि इस भू भाग का मूल्यांकन नये प्रभावी भूमि अर्जन कानून 2013 के प्रभाव से लागू किया जाकर गणना की जानी चाहिये जमीन 1400 स्का.मीटर = 15064 स्का.फीट के आज मार्केट वेल्यू 5000/– पर स्का.फीट से होता है रूपये 7,53,20000/– इसका हमे आज की वेल्यू का 4 गुना अर्थात 30,12,80000/– निकला वाजिब मुआवजा राशि अवाप्ति भूमि बाबत बनता है जो ब्याज सहित प्राथी पाने का हकदार है, जो दिलाया जाये एवं उक्त राशि पर ताअदायगी 12 प्रतिशत ब्याज वार्षिक दर से दिलाई जावें। आज भी मौजा देबारी तहसील गिर्वा स्थित उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। यानि वर्तमान जमा बंदी दिनांक 03.07.18 खसरा नं. 4518 क्षैत्रफल 0.1500 जो में से पूर्व आवाप्ति जिसका अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज है इस समय 0.0100 घटाने पर 0.1400 है. शेष है। उक्त भूमि का एक्सप्लोजिव लाईसेन्स प्रार्थी के नाम 31.03.15 एवं भूमि की लीज अवधि का नवीनीकरण वर्ष 09.11.2000 में वर्ष 2020 तक संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया। यह कि प्रार्थी क्लेमेंट अनु.जाति का सदस्य होने से कानून विहित लाभ का हकदार है जो प्रदान कराया जावें। प्रतिवर्ष लीज राशि सरकार वसूल कर रही है। अवाप्त भूमि व्यवसायिक नेचर की है। जिसकी अवाप्ति 2002 में की गई थी। जिसका 16 वर्षो तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। येनकेन कार्यवाही बाद ज्ञात हुआ कि दिनांक 30.04.18 को अवार्ड जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अवार्ड का लाभ नये कानून के तहत सारे परिलाभों को निर्धारण किया जाकर राहत प्रदान की जाये। अन्यथा कानूनन नये सिरे से आवश्यकतानुसार अवाप्ति कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की जाये। प्रार्थी का वर्षो पुराना प्रतिष्ठा साख प्राप्त का व्यवसायिक आय से वंचित होना पड़ेगा। प्रार्थी काफी वृद्ध होकर शारिरीक रूप से बीमार है। नये व्यवसायिक स्थापित करने में काफी श्रम पैसा आदि खर्च होगा। अतः निवेदन है कि नये नियमों के तहत नये सिरे से अवार्ड पारित कर सम्पूर्ण परिलाभो सहित राशि प्रदान करें। प्रार्थी द्वारा परिस्थिति अनुसार पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाये।

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 दिनांक 30.08.19 को प्रस्तुत कर अवाप्तशुदा भूमि का मौका निरीक्षण करवाये जाने हेतु निवेदन किया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट से न्यायालय को अवाप्त भूमि की वास्तविक स्थिति सामने आयेगी, की विपक्षी

को छः लेन सड़क निर्माण हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता है। क्योंकि छः लेन सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि से अधिक भूमि प्रार्थी की अवाप्त की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौका निरीक्षण की रिपोर्ट मंगवायी जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुत किया गया है। जो कि हस्तगत कार्यवाही के तहत प्रभावी नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में अवाप्त कार्यवाही भा.रा.रा.अधिनियम की धारा 3 के तहत की गई हैं तथा उक्त भूमि छः लेन सड़क निर्माण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की गई है। ऐसी दशा में उक्त धारा 64 के प्रावधान प्रभावी न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। कोई भी पक्षकार पारित अवार्ड से अपने आप को पीडित महसूस करता है तो संबंधित पक्षकार भारतीय राष्टीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(जी)(5)(6) के अनुसार माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत आर्बीट्रेटर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपना क्लेम संस्थित कर सकता है। जिसमें संबंधित पक्षकारों को सुना जाकर अवार्ड पारित किये जाने का विधिक प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की जितनी भूमि जिस कारण अवाप्त की गई है उसके अनुसार ही बाद सुनवाई सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी को पूर्ण पारित अवार्ड 2002 की जानकारी नहीं रही है। जो कि विधि विरूद्ध कथन है। 17 वर्ष की अवधि परे होने के पश्चात ऐसे आक्षेपित कथनो के आधार पर प्रार्थी किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2002 की अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। जो कालातित हो चुकी है। अपने प्रार्थनापत्र में भी मनमकसुद आंकलन करते हुए राशि की गणना की गई है। जो सही नही होकर वास्तविक तथ्यों से सरोकार नहीं रखती है। प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि जिसकी संबंध में जारी की गई उद्घोषणाओं व अभिलेखीय किस्म अनुसार अवार्ड पारित किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में भी यही प्रक्रिया अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपनायी गई है। रिकार्ड व मौके की स्थिति व स्वामित्व प्रमाणित अनुसार दस्तावेज की रोशनी में अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी का जितना स्वामित्व भूमि व उसकी किस्म संबंधी रहा है।

उसी पर निश्चित प्रावधानों अनुसार अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा 16 वर्षो तक पारित अवार्ड को चुनौति नही दिया जाना एवं अवार्ड को आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत भी चुनौति नही दी गई है। जबकि हस्तगत अवाप्ति कार्यवाही राष्टीय राजमार्ग अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत की गई है, जो एक विशिष्ठ अधिनियम होने से भूमि अवाप्ति अधिनियम व अन्य अधिनियम प्रभावित नहीं होते हैं । जो कार्यवाहियां पुर्नवासन अधिनियम 2013 जो कि दिनांक 01.01.15 के पश्चात पारित होने वाले मुआवजा आदेशो के संबंध में मात्र धारा 29 व 30 की क्षैत्राधिकारिता उद्घोषित प्रभावित की गई है। अन्य कोई प्रावधान उपरोक्त अधिनियम का प्रभावी न होने से प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त फरमाया जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपनी व्यवसायिक साख, ख्याति, रूग्णता आदि के संबंध में जो अभिवचन किये गये है। जिसके संबंध में विधिक प्रावधानों के तहत प्रभावी नही है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान किया जाना विधि द्वारा वर्जित होने से आवेदन पत्र निरस्त योग्य होने से खारीज फरमाया जाये।

प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी का प्रस्तुत कर मौका निरीक्षण करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिसके संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र को साक्ष्य सबूतो से ही साबित करावें। उसके लिए न्यायालय का सहारा नहीं लेवे। प्रार्थी न्यायालय से अतिरिक्त साक्ष्य सबूत प्राप्त कराने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 खारीज फरमाया जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के क्रम में अवाप्ति अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर आता है कि भूमि अवाप्ति कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 के तहत अमल में लाई गयी है। और मौके पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं है एवं जारी की गई अधिसूचना में भी किसी भी तरह का निर्माण दर्शित नहीं है और उक्त अवाप्ति अधिसूचना वर्ष 2002 में ही प्रकाशित हो चुकी थी। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभिलेखों की रोशनी में उक्त प्रार्थनापत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की मौजा जिंक स्मेल्टर पटवार हल्का देबारी में खसरा सं. 4518 रकबा 0.1500 है. भूमि स्थित होकर इस भूमि पर 1981 से पैट्रोल–डीजल का व्यवसायिक निरन्तर करता आया है। उक्त भूमि का

वाणिज्यिक रूपान्तरण काफी वर्षो पूर्व जिला कलक्टर उदयपुर से ही हुआ। उक्त भूमि पैट्रोल पम्प रूपान्तरण से पूर्व प्रार्थी की खातेदारी भूमि थी। इसी भूमि का 0.0100 हैक्टयर पूर्व में अवाप्ति की जाकर 38 लाख से अधिक की राशि का भुगतान किया गया था जबकि शेष भूभाग 0.1400 है. का मुआवजा मात्र 1,21,172/– का ही अवार्ड पारित किया गया है। जबकि अवाप्ति भूमि 1400 वर्गमीटर यानि की 15064 वर्गफीट की आज मार्केट वेल्यू 5000/– प्रति वर्गफीट से 7,53,20000/– जिसकी आज की वेल्यू का 4 गुना 30,12,80000/– बनता है जिस पर नियमानुसार ब्याज भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही वर्ष 2002 में होकर दिनांक 30.04.18 तक प्रार्थी को अवार्ड पारित संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई। प्रार्थी द्वारा अपने स्तर से जानकारी की गई। प्रार्थी की भूमि अवाप्ति वर्ष 2002 में हुई। चुनौतिग्रस्त अवार्ड दिनांक 09.10.17 को पारित किया गया एवं जो मुझे दर दी गई वह भूमि की डीएलसी दर 04.11.2002 की दी गई। जबकि अवार्ड प्राप्ति की दिनांक का भी आंकलन किया जाये तो भूमि की दरे कई गुना बढ़ चुकी है। अवाप्त अधिकारी द्वारा भूमि की दर कृषि भूमि की दर से गणना कर अवार्ड पारित किया गया है जबकि इस भूमि में पेट्रोल पम्प स्थापित था। भूमि की किस्म पेट्रोल पम्प होकर स्वतः ही इसकी किस्म व्यापारिक है। इस अवाप्त भूमि को व्यापारिक दर से गणना कर अवार्ड पारित किया जाना चाहिए था। जबकि मुझे दिनांक 02.06.17 से इसी आराजी 4518 में से 0.0100 है. भूमि अवाप्ति के बदोलत 38,12,609/– का अवार्ड पारित कर राशि का भुगतान जरिये बैंक से दिनांक 27.06.17 को किया गया था। इसी आराजीयात की शेष भूमि 0.1400है. अवाप्त की जा रही है उसके अवार्ड की राशि 1,21,172/– पारित की गई है। एक ही वर्ष में पारित अवार्डो में इतना अन्तर किया जा रहा है वह पूर्णतया गैरकानूनी है। अपनी बहस में निवेदन किया की ऐसी भूमियों का अधिग्रहण किया गया हो, जिनका भौतिक रूप से कब्जा नहीं लिया गया हो, प्रतिकर का भी भुगतान नहीं किया गया हो, ऐसी अवाप्त कार्यवाहियां समाप्त मानी जाती है। यदि प्रतिकर भुगतान किया जाता है तो भी बाजार भाव से दिया जाये। हस्तगत प्रकरण में अवाप्ति की कार्यवाही 2002 में की गई। अवाप्त भूमि का कब्जा नहीं लिया गया, ना ही प्रतिकर की राशि दी गई। 15–16 वर्ष पश्चात अवाप्त भूमि का अवार्ड पारित करना वह भी पुरानी दर से जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। इन 15–16 वर्षो में भूमि के मूल्यों में हुई वृद्धियो को अवाप्त अधिकारी द्वारा नहीं देखा गया। भूमि की किस्म वाणिज्यिक रही

है। पारित अवार्ड कृषि भूमि से दिया गया है। अतः अब भी अवाप्त भूमि का पारित अवार्ड को खारिज किया जाकर नये सिरे से भूमि की किस्म व्यापारिक मानी जाकर वर्तमान बाजार दर के आधार पर उस पर मिलने वाले समस्त परिलाभ प्रार्थी को देते हुए नये सिरे से अवार्ड पारित किये जाने का आदेश प्रदान करें। अपने बहस की ताईद में WLN 2019(3) राजस्थान पेज 66, 2019(2) CT राजस्थान पेज 516, 2018(3)WLN राजस्थान पेज 99 एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1894 पर उच्च न्यायालय के निर्णय के सारांश प्रस्तुत किये गये है।

प्रकरण में विपक्षी द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों के आधार पर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अवाप्ति संबंधी सारी कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम के तहत की गई है। जिसके प्रावधान हस्तगत प्रकरण में प्रभावी नहीं है। अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 3(G)(7) के तहत की गई है। जिसकी चुनौति मात्र 3(G)(5)(6) के तहत ही की जा सकती है। प्रार्थी की जितनी भूमि जिस किस्म की अवाप्ति की गई है, राजपत्र में अवाप्त भूमि 3(A) उद्घोषित हुई है। उसी अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया गया है। अवाप्त अधिकारी द्वारा भी इस भूमि को धारा 3(D) में अवाप्त भूमि का वर्गीकरण ए.सा.ा दर्शाया गया है। उसी अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की भूमि वर्ष 2002 में अवाप्त की कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी। जिसका अवार्ड पारित करने के बाद ही भौतिक रूप से कब्जा लिया गया। प्रार्थी 16 वर्ष के पश्चात इस प्रकार आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है, जो निरस्त योग्य है। जबकि हस्तगत अवाप्त कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की गई हैं। जिस पर अन्य अधिनियम प्रभावी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी की सम्पूर्ण पत्रावली का सविस्तार अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत वैधानिक प्रावधान व न्यायिक दृष्टांत व प्रस्तुत समस्त अभिलेखों का विधि संगत अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली में संलग्न अभिलेख एवं प्रार्थी के कथनानुसार यह निर्विवाद है कि अवाप्ति कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत पूर्ण की गई थी। और उक्त अवाप्ति कार्यवाही पर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के

प्रावधान प्रभावी नहीं होते है। उक्त प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(J) में उपबन्धित है तथा हस्तगत प्रकरण से संबंधित भूमि खसरा सं. 4518 का रकबा 0.1400 की अवाप्ति अधिसूचना दिनांक 11.04.2002 को अन्तर्गत धारा 3(A) राजपत्र में उद्घोषित हुई है। तत्कालिन समय में उदयपुर–चित्तौड खण्ड का चार लेन सड़क निर्माण हुआ था। और वर्तमान में छः लेन सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर उक्त भूमि सड़क निर्माण प्रयोजनार्थ प्रयोग में लिए जाने के समस्त अधिकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में निहित हो चुके है। अवाप्त भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(G)(7) में वर्णित प्रावधानानुसार अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। भूमि की किस्म एक साखी कृषि रही है। और इसी आराजी का पेट्रोल पम्प स्थित भूभाग एरिया जो कि 0.0100 है. शेष रहा था वह पृथक से अवाप्त किया गया है। जिसका मुआवजा अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रभावी अधिनियम 2013 की धारा 30 अनुसार निर्णित कर दिनांक 02.06.2017 को अदायगी आदेश जारी किया गया है। जिसकी राशि का भुगतान प्रार्थी को प्राप्त हो चुका है और इसी तथ्य को आधार बना कर प्रार्थी द्वारा वर्ष 2002 में हस्तगत प्रकरण से संबंधित जो भूमि अवाप्त हुई है। उसका मुआवजा चाहा गया है। जबकि वर्ष 2002 की अवाप्ति कार्यवाही पर अधिनियम 2013 के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है तथा अधिपत्य पारित अवार्ड राशि का भुगतान करने पर लिया गया है। ऐसी दशा में उक्त राशि पर ब्याज अदा किया जाना समुचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अन्य आधार भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 व 24 के आधार पर भूमि को अवाप्ति से मुक्त निर्णित किये जाने का निवेदन प्रार्थी का रहा है। और इसी क्रम में विधिक प्रावधान दर्शित किये गये है। उक्त विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो यह स्वीकृत तथ्य है कि हस्तगत कार्यवाही पर उक्त प्रावधान प्रभावी ही नहीं होते है। तथा इस संबंध में जो न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये है उनका ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरों में वर्णित तथ्य हस्तगत प्रकरण की अवाप्ति कार्यवाही के विधिक प्रावधानों से पूर्णतया भिन्न होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में सहायक नहीं है, इन आधारों पर प्रार्थी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारिता भी नहीं रखता है। प्रार्थी का अन्य आधार यह रहा है कि राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा संख्या में पेट्रोल पम्प दर्ज है। जबकि अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3(A) में भूमि की किस्म ए.सा.ा दर्ज रही है और उक्त भूमि पर पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं रहा है। भूमि की अभिलेखीय अभिलेख

अनुसार किस्म ए.सा.ा होने के कारण इसी किस्म की उच्चतम बाजार दर से अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड पारित किया गया है। जिसमें किसी भी तरह की चूक, अवैधानिकता, अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। प्रार्थी का अन्य आधार वर्तमान में जो भूमि इसी आराजी की रिक्त पडी हुई है जहां सड़क निर्माण नहीं हुआ है और भूमि उपयोग में नहीं आ रही है। वह भूमि प्रार्थी को पुनः लौटा दी जावें। इस अनुतोष के क्रम में विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो उक्त आशय का अनुतोष प्रार्थी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है, न उक्त आशय का अनुतोष प्रदान किये जाने की क्षैत्राधिकारिता आर्बीट्रेटर में ही निहित है। क्योंकि उद्घोषित राजपत्र के संबंध में कार्यवाही की क्षैत्राधिकारिता इस स्तर पर वर्जित है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अभिवचनों, अभिलेखों, विधिक प्रावधानों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सविस्तार अवलोकन किये जाने पर प्रार्थी पारित अवार्ड राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय/अवार्ड की एक एक प्रति दोनो पक्षकारानो को नियमानुसार दी जावें एवं अवाप्ति अधिकारी को उनके अवार्ड की पत्रावली मय निर्णय/अवार्ड की प्रति के प्रेषित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.17 10:56:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: